HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8396/2026
CNR: RJHC010582252026
URN: CRLMB / 18246U / 2026

Rajaram Alias Raju Manjhu S/o Rawalram, Aged About 34 Years, Resident Of Jambheshwar Nagar Police Station Lohawat District Phalodi Rajasthan (Presently Lodged In District Jail Phalodi)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Though Of PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7168/2026
CNR: RJHC010543812026
URN: CRLMB / 15821U / 2026

Rajesh S/o Sukhram, Aged About 31 Years, Resident Of Chandanagar, Police Station Lohawat, District Phalodi,rajasthan. (Presently Lodged In Dist. Jail Phalodi)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. R.K. Charan Mr. Ashok Bishnoi Mr. Mahaveer Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. Gokulesh Bohra (through VC) Mr. Gaurang Deora

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

15/07/2026

01. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से जमानत के यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, पुलिस थाना **लोहावट,** जिला **फलौदी** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **159/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **191(2), 191(3), 190,**

126(2), 115(2), 109(1), 112(2)(बी) व 111(5) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है। इस मामले में अन्य सह–अभियुक्तगण इलियास पुत्र गफुर खां की जमानत दिनांक 10.12.2025 को, सलीम पुत्र लतीफ खां, सदाम हुसैन पुत्र पठान खां, महीराम पुत्र बीरबलराम, मोहम्मद कासम पुत्र जानू खां व अनिल कुमार पुत्र पदमाराम की जमानत दिनांक 20.11.2025 को हो चुकी है। इस मामले में मुख्य अभियुक्त हड़मान उर्फ लादेन है, जिसके द्वारा फायर करने का आरोप लगाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। प्रार्थीगण– अभियुक्तगण द्वारा फायर नहीं किया गया है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का हड़मान उर्फ लादेन के साथ होना आहत अशोक के बयान से स्पष्ट है। इस मामले में राजू मांझू द्वारा पिकअप चलाना और राजेश का उसके साथ पीछे की सीट पर बैठा होना बताया है। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा कोई फायर नहीं करने से इनका मामला अधिक गंभीर नहीं होना बताया गया। प्रार्थी–अभियुक्त राजू मांझू दिनांक 28.04.2026 से तथा प्रार्थी–अभियुक्त राजेश दिनांक 19.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस आधार पर प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध किया तथा विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस द्वारा इसका सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी–अभियुक्त राजू मांझू से स्कॉर्पियो जब्त हुई है और मुलजिमान के विरुद्ध पूर्व में काफी मुकदमे दर्ज हैं। इस आधार पर सह–अभियुक्त के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से हड़मान उर्फ लादेन द्वारा फायर किया गया। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का मामला भी सह–अभियुक्त हड़मान उर्फ लादेन के समान होना बताते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्रों को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। आहत अशोक के बयान से ही यह स्थिति स्पष्ट है कि हड़मान उर्फ लादेन द्वारा जान से मारने की नीयत से स्कॉर्पियो पर फायर किया, जिससे गोली स्कॉर्पियो के पीछे कांच पर लगी, जिसके छर्रे आहत के सिर, बाएं कान के पीछे व बाएं गाल पर लगे। ऐसी अवस्था में मुख्य अभियुक्त हड़मान उर्फ लादेन है।

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, केवल स्कॉर्पियो वाहन राजू मांझू से बरामद हुआ है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **1. राजाराम उर्फ राजू मांझू पुत्र रावलराम तथा 2. राजेश पुत्र सुखराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त एक–एक लाख रुपये के मुचलके एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

59-60/Divyashri Maru/677